

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

राँची, दिनांक.....

संख्या-13/शक्ति प्र0-12/2014 का0-...../उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-724, दिनांक-12.11.2015 तथा पत्रांक-725, दिनांक-12.11.2015 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित 376 पीठासीन पदाधिकारी/प्रथम मतदान पदाधिकारी एवं 164 सेक्टर पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत प्रतिनियुक्ति की तिथि से पंचायत निर्वाचन, 2015 के सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उमेश चन्द्र सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 13/शक्ति प्र0-08/2014 का0.....10111...../

राँची, दिनांक.....30.11.15

प्रतिलिपि:- श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, ई0- गजट को ई0-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।